कार्यालय ज़िलाधिकारी / ज़िला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर

पत्रांक : /पी0आर0ए0/कोष0बु0शहर/सत्यापन/19–20
दिनांक 13-11-2019

समस्त आहरण–वितरण अधिकारी
जनपद बुलन्दशहर

विषय : राजस्व प्राप्तियों की प्रगति पर निगरानी रखना ।

मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत वित्त आय व्यय अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–बी–1–42 /दस– 2003–130/2002, दिनांक 07/01/2003 में यह व्यवस्था दी गई है कि विभागीय जमाओं का मिलान प्रत्येक मास कोषागार अभिलेखों में दर्ज आंकड़ों से कराया जाना चाहिये । विभागीय नियंत्रक अधिकारी का लेखा कोषागार द्वारा तैयार किये गये विवरणियों से न संकलित किया जाये । कोषाधिकारी विभागीय नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत की जानें वाली विवरणियों का सत्यापन करें ।

जनपद के कतिपय विभागीय अधिकारियों द्वारा अपनी विभागीय मासिक जमाओं का सत्यापन कोषागार अभिलेखों से प्रत्येक मास नहीं कराया जा रहा है । विभागीय अधिकारी का यह दायित्व होता है कि वे अपनें कार्यालय/विभाग में तैयार किये गये राजस्व प्राप्तियों के विवरण का मिलान कोषागार अभिलेखों में दर्ज प्राप्तियों के ऑकड़ों से कराकर यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालय/विभाग में अंकित प्राप्तियों की धनराशि सुसंगत लेखा शीर्षक में वास्तव में जमा हो गई है । परन्तु सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा सामान्यतया यह कार्य नियमित रुप से नहीं कराया जा रहा है और सरकारी धन के गबन, दुर्विनियोग होनें की पूर्ण सम्भवना है।

कोषागार द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय विभागीय अधिकारियों द्वारा कोषागार पर अनावश्यक दवाब डालकर कोषागार द्वारा तैयार किये गये लेखे प्राप्त कर लिये जाते हैं एवं उस कोषागार लेखे से ही अपनें विभागीय लेखा तैयार कर अपनें उच्चाधिकारियों को प्रेषित किये जाते हैं । इस प्रक्रिया से किसी विभाग की जमाओं में हुए गबन/दुर्विनियोग की जाँच कर पाना कठिन हो जाता है ।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपनी विभागीय जमाओं का विवरण स्वयं तैयार करें एवं जमाओं के विवरण का मिलान कोषागार अभिलेखों में दर्ज प्राप्तियों के ऑकड़ों से कराकर यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालय/विभाग में अंकित प्राप्तियों की धनराशि सुसंगत लेखा शीर्षक में वास्तव में जमा हो गई है ।

(रविन्द्र कुमार)
ज़िलाधिकारी
बुलन्दशहर

प्रतिलिपि :– 2777-B

1–वरिष्ठ कोषाधिकारी बुलन्दशहर को इस आशय से कि जनपद की विभागीय जमाओं का कोषागार विवरण किसी भी आहरण–वितरण अधिकारी को न दें ।

2–जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) को इस आशय से कि इस पत्र को जनपद बुलन्दशहर की वेब साईट पर अपलोड करें ।

10/11/19

ज़िलाधिकारी
बुलन्दशहर

Scanned by CamScanner